प्रेस विज्ञप्ति

29.11.2024

प्रवर्तन निदेशालय)ईडी(, दिल्ली जोनल कार्यालय ने 27.11. 2024को पूर्ववर्ती क्वालिटी लिमिटेड और तत्कालीन प्रमोटरों/निदेशकों संजय ढींगरा, सिद्धांत गुप्ता और उनसे संबंधित अन्य फर्जी कंपनियों से जुड़े दिल्ली और रा.रा.क्षे. में 15स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने बैंकों से धोखाधड़ी करने के आरोप में उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ के.अं.ब्यू., नई दिल्ली द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। मेसर्स क्वालिटी लिमिटेड दूध ,आइसक्रीम और विभिन्न डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण और व्यापार में लगी हुई थी।प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि उक्त पूर्ववर्ती इकाई ने अपने निदेशकों के माध्यम से बिक्री ,खरीद ,देनदारों और लेनदारों के बारे में गलत जानकारी देकर लेखा-पुस्तकों में मिथ्याकरण और छलरचना करके बैंकों के संघ को धोखा दिया। प्राथमिकी में बैंकों के संघ को 1400. 62करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है।

ईडी की जांच से पता चला कि तत्कालीन प्रमोटरों/निदेशकों ने बिक्री और देनदारियों को अधिक दिखाने के लिए लेखा-पुस्तकोंमें हेराफेरी की। फैक्ट्री परिसर में माल की वास्तविक भौतिक डिलीवरी या रसीद के बिना भारी मात्रा में व्यापार]बिक्री/खरीद [किया गया। यह भी पाया गया कि नकली/डमी मालिकों के माध्यम से संचालित होने वाली फर्जी कंपनियों/फर्मों ने भी ऋण मांगा ,लेकिन ऐसे फंड का इस्तेमाल तत्कालीन क्वालिटी लिमिटेड के निर्देशों के अनुसार किया गया। क्रेडिट बिक्री के बदले मिलने वाले फंड को भी बैंकों को धोखा देने के लिए बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया। यह पाया गया कि जिन संस्थाओं के पास भारी मात्रा में प्राप्तियां हैं ,वे फर्जी संस्थाएं हैं जिन्हें या तो तत्कालीन मेसर्स क्वालिटी लिमिटेड के कर्मचारियों या निदेशकों के ज्ञात व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता था। यह भी पाया गया कि इन कम्पनियों के निदेशक और मालिक ,जो आपूर्तिकर्ता और ग्राहक थे ,पूर्ववर्ती क्वालिटी लिमिटेड के कर्मचारी थे। वर्णित तरीके से विपथित धनराशि को प्रसारित किया गया ,स्तरीकृत किया गया ताकि इसकी उत्पत्ति को छिपाया जा सके और प्रमोटरों के निर्देशानुसार इसे विभिन्न खातों में भेजा गया ,जिसका उद्देश्य बैंकों द्वारा नहीं था।

तलाशी अभियान के दौरान 1. 3करोड़ रुपये की नकदी और प्रमोटरों द्वारा कई फर्जी कंपनियों के माध्यम से रखी गई संपत्तियों/बैंक खातों से संबंधित विभिन्न साक्ष्य बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। यह पाया गया कि प्रमोटरों के ड्राइवर/कर्मचारी ऐसी फर्जी कंपनियों में निदेशक बनाए गए हैं। ऐसी लाभकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के नाम पर खरीदी गई पोर्शे ,मर्सिडीज ,बीएमडब्ल्यू जैसी महंगी लग्जरी कारें जिनकी खरीद मूल्य लगभग 4करोड़ रुपये है ,लगभग 2. 5करोड़ रुपये के निवेश मूल्य वाले डीमैट खाते आदि को फ्रीज कर दिया गया है ।

आगे की जांच जारी है।